राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कार्यालय आदेश

क्रमांक प. 15( )AEZ/पी.एच.एम./ 14702-10 दिनांक :26-3-18

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प. 15( )AEZ/पी.एच.एम./5442–51 दिनांक 07.07.2015 से राज्य से मसालों के सीधे निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान मसाला निर्यात प्रोत्साहन योजना 2015 लागू की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त होने जा रही है।

राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त सुवा (Dill-Seed) को योजना में सम्मिलित करते हुए योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च 2019 तक बढ़ाई जाती है।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
महाप्रबंधक(प्रशासन)

क्रमांक प. 15( )AEZ/पी.एच.एम./ 14702-10 दिनांक :– 26-3-18

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि, पशुपालन, डेयरी, कृषि विपणन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रशासक, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
4. निजी सचिव, कृषि एवं उद्यान आयुक्त राजस्थान पंत कृषि भवन जयपुर
5. निदेशक, कृषि विपणन विभाग राजस्थान पंत कृषि भवन जयपुर
6. सचिव, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
7. परियोजना प्रबंधक, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
9. सहायक निदेशक (पी.एच.एम.) रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
10. आरक्षित पत्रावली

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
महाप्रबंधक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कार्यालय आदेश

क्रमांक प. 15( )AEZ/पी.एच.एम./ 5442-51 दिनांक : 7/7/15

राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त राज्य से मसालों के सीधे निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु **निर्यात प्रोत्साहन योजना 2015** तुरंत प्रभाव से निम्न प्रकार लागू की जाती है।

योजना– यह योजना **"राजस्थान मसाला निर्यात प्रोत्साहन योजना 2015" (Rajasthan Spices Export Promotion Scheme,2015)** के नाम से जानी जावेगी।

अवधि– योजना 31 मार्च 2018 तक प्रभावी होगी, जिसका विस्तार आगामी वर्षों के लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

योजनाधीन मसाले– योजना राज्य में उत्पादित मसाले जीरा, धनियां, सौफ, मेथी, अजवायन, लालमिर्च, सौंठ (सूखी अदरक), हल्दी, राई लहसुन व कलौंजी साबुत व प्रसंस्कृत मसालों के विदेशी निर्यात पर लागू होगी।

योजना का लाभ– निर्यातक को योजना का लाभ राज्य की किसी भी कृषि उपज मण्डी समिति से क्रय कर अथवा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 एवं इसके तहत बने नियम एवं उपविधियों की पालना करते हुये सीधे कृषक से क्रय कर देश में किसी भी बन्दरगाह से निर्यात करने पर देय होगा। जिन देशों में समुद्री मार्ग से निर्यात नही हों केवल स्थल मार्ग से निर्यात हो उनमें ट्रक/रेल से सीधे निर्यात करने पर भी अनुदान देय होगा।

देय अनुदानः– योजना में निर्यात किये जाने पर निम्न प्रकार अनुदान देय होगाः–

(अ)क्रय स्थल से बन्दरगाह तक ट्रक या रेल भाडे का 25 प्रतिशत अथवा 500 रू. प्रतिटन जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

(ब) देश के बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक समुद्री पोत से परिवहन करने पर 26 मै.टन क्षमता के कन्टेनर तक रू. 5000(पांच हजार मात्र) प्रति कन्टेनर अथवा रू. 500 (पांच सौ मात्र) प्रति. टन जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

(स) केवल स्थल मार्ग अर्थात सीधे ट्रक/रेल से निर्यात किये जाने पर सतही भाडे का 25 प्रतिशत अधिकतम,रू.500.00 (पांच सौ मात्र), प्रतिटन, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

(द) सतही व समुद्री भाडे पर कुल अनुदान प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक 10 लाख रू. (दस लाख रू) की सीमा में अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगा। किसी भी निर्यातक को योजना का विस्तार होने पर भी 3 वर्षो में 30 लाख रू (तीस लाख रू) . से अधिक अनुदान देय नहीं होगा।

अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रियाः– (1) इच्छुक मसाला निर्यातक को योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा।

पंजीयन के लिये फोटो सहित सादा कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ संयुक्त महानिदेशक (वाणिज्य मन्त्रालय भारत सरकार) उद्योग भवन जयपुर द्वारा प्रदत्त आयात निर्यात (I.E code)प्रमाण पत्र, मसाला बोर्ड कोचीन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, कृ.उ.मं.स. का अनुज्ञा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं बैंक खाते के प्रमाण पत्र की स्वःप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करना होगा।

(2) योजनान्तर्गत निर्यातक, निर्यात प्रभावी होने के 3 माह की अवधि में वांछित दस्तावेजो के साथ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में अनुदान दावा प्रस्तुत करेगा। निर्यात प्रभावी होने की तिथि की गणना समुद्री पोत में माल लदान होने की दिनांक से अथवा Bank Realization में दर्शायी गई तिथी से, इनमें से जो भी निर्यातक द्वारा वांछना की जावे, से की जायेगी।

(3) उन प्रकरणों में जहां सीधे ट्रक/रेल से निर्यात किया गया हो, निर्यात प्रभावी होने की तिथि की गणना कस्टम विभाग के शिपिंग बिल या ट्रक/रेल में माल लादने की दिनांक से की जायेगी।

(4) निर्धारित तिथी के पश्चात प्रस्तुत दावा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(5) सभी वांछित दस्तावेजो के साथ दावा प्रस्तुत करने की तिथी के 3 माह के भीतर योजनान्तर्गत प्रावधानों की पालना करते हुये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दावे निस्तारित किये जायेगें।

(6) अनुदान निर्यातक को सीधे ही देय होगा, अन्य व्यक्ति या फर्म को देय नही होगा।

(7) निर्यात किया गया माल वापस होने पर भुगतान किया गया अनुदान वसूलनीय होगा

दावों के साथ वांछित दस्तावेज

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पंजीकरण की स्व– प्रमाणित प्रति।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति के अनुज्ञापत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

(3) आई. सी. कोड की स्व–प्रमाणित प्रति।

(4) मसाला बोर्ड, कोचीन में पंजीकरण की स्व–प्रमाणित प्रति।

(5) प्रत्येक कंसाइनमेंट के साथ कृषि उपज मण्डी समिति से मसाला क्रय करने का प्रमाणपत्र तथा प्रसंस्कृत अवस्था में प्रसंस्करण इकाई के प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

(6)कस्टम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त शिपिंग बिल की स्व–प्रमाणित प्रति।

(7) शिपिंगबिल की स्व–प्रमाणित प्रति जिसमें कार्टुनो में मसाले की मात्रा व वजन अलग अलग दर्शाया गया हो।

(8)परिवहन पोत पर लदान करने के बिल (बिल ऑफ लेंडिंग) की स्व–प्रमाणित प्रति।

(9) आयातक देश के क्रेता की प्राप्ति रसीद अथवा निर्यातक बैंक का हस्ताक्षरयुक्त रिलाईजेशन प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रति

(10) रेल/ट्रक बिल्टी की स्व–प्रमाणित प्रति।

(11) निर्यातक बैंक का निर्यात करने के प्रमाणपत्र की स्व– प्रमाणित प्रति

(12) स्थल मार्ग से निर्यात करने पर प्राप्तिकर्ता फर्म की रसीद की प्रति एवं बैंक का हस्ताक्षरयुक्त बैंक रिलाईजेशन प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

(13) निर्यातक द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु दी गई सूचना/दस्तावेजों की सत्यता के लिए एवं अन्य योजना में अनुदान प्राप्त न करने के संबंध में रू. 10/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।

अतः उपरोक्तानुसार 'राजस्थान मसाला निर्यात प्रोत्साहन योजना 2015 में होने वाले व्यय एवं प्राप्त दावों के भुगतान हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार **किसान कल्याण कोष** से राशि आहरित कर भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
महाप्रबंधक(प्रशासन)

क्रमांक प. 15( )AEZ/पी.एच.एम./ दिनांक :–

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि, पशुपालन, डेयरी, कृषि विपणन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रशासक, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
4. निजी सचिव, कृषि एवं उद्यान आयुक्त राजस्थान पंत कृषि भवन जयपुर
5. निदेशक, कृषि विपणन विभाग राजस्थान पंत कृषि भवन जयपुर
6. महाप्रबन्धक (प्रशासन), रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
7. सचिव, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
8. परियोजना प्रबंधक, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
9. मुख्य अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर / विशिष्ट सहायक रा.रा.कृ.वि.बोर्ड जयपुर –
10. सहायक निदेशक (पी.एच.एम.) रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर
11. आरक्षित पत्रावली

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
महाप्रबंधक(प्रशासन)